

District Registry Office, Muzaffarpur

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 5718

RTPS No.:-
03011141002104750

वृत्ति श्री Vaidehi Ranjan & Others ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

एवंद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में जो 01/01/2012 से जो 17/12/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
1	Muzaffarpur	Mushahari	Kanhauli Vishundatt (411)	493	74	71.25 Decimal		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं पड़ा है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Sri Ashok Kumar Tiwary

LDC *Ashok Kumar Tiwari*

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जांच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - Ranjeet Kumar
Lower Division Clerk

Ranjeet Kumar
24/12

District Registry
Office, Muzaffarpur

तारीख -

24/12/2021

कार्यालय

दिपण्णी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण सही/सत्य-विशुद्ध देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (दाजेकान) इस प्रमाण-पत्र में शामिल, न किये जायेंगे।

2. निबन्धन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियों देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका पतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर गृह और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. किन्तु वृत्ति वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और वृत्ति वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक - 5718 दिनांक - 24/12/2021

शाखा प्रबंधक HDFC Bank Ltd. Patna के पत्र दिनांक 17/12/2021

के आलोक में प्रेषित।

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर